

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लाजवन्ती बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;">433 2022</p>	<p>आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वाद के पक्षकार मीणा जाति से है जो कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है कानूनन अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी पुत्रीयो का कोई हक़ नही होता है कानूनन केवल पुत्र ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी होते है जब पुत्रियों का अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी में कोई हक़ ही नही होता है तो वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद बार्ड बांय लॉ होने के कारण ख़ारिज किये जाने योग्य है जिसके पश्चात अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. पर समायत कर निर्णय दिनांक 14/06/2022 पारित करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी सख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होना धारित कर ख़ारिज फरमा दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया </p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर वाद को ख़ारिज कर दिया गया, जबकी विचाराधीन वाद घोषणा का है एवं कानूनन घोषणा का बिन्दु तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूतों को तनकीवार विवेचित करते हुये तय किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु ऐसा नही कर प्रारम्भिक स्तर पर ही घोषणा के वाद को सरसरी तौर पर ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है ऐसी स्थिति में तनकीवार साक्ष्य-सबूत को विवेचित करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है </p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे</p>	

2

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लाजवन्ती बनाम ओमप्रकाश

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

133
2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य-सबूतों को तनकीवार विवेचित करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को निस्तारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो |

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |